INDIAN COUNCIL OF FORESTRY RESEARCH & EDUCATION

P.O. NEW FOREST, DEHRADUN - 248 006



RE-TENDER DOCUMENT

No. 37/PO/UPS/AMC/Admin/ICFRE/2019-20

FOR

MAINTENANCE CONTRACT OF UNINTERRUPTED POWER SUPPLY (UPS)

INDIAN COUNCIL OF PORBSTRY RESEARCH & EDUCATION

Notice Inviting Tenders

(National Competitive Bidding)

(Indian Council of Forestry Research & Education)

Post- New Forest, Dehradun – 248006, Uttarakhand, India Phone: 0135-2224869/66 135-2750297

Website: http://www.icfre.gov.in Email: adg_admin@icfre.org

e-Tenders are invited by Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE), Dehradun from the eligible and reputed firms having experience in Maintenance of UPS along with having service/support centre at Dehradun, Uttarakhand.

The details of the above items and other Terms and Conditions, etc. are available in the Tender Document. The tender forms and specifications are available at CPPP site https://eprocure.gov.in/eprocure/app and web site https://www.icfre.gov.in

Tender documents may be downloaded from ICFRE website http://www.icfre.gov.in (for reference only) and CPPP site https://eprocure.gov.in/eprocure/app as per the schedule as given in tender critical date sheet as under:-

1. Schedule of Tender:-

Events	Date/Time	Venue		
Date of Publishing	31.08.2020 at 03:00 PM	ICFRE website and Central Public Procurement(CPP) Portal		
Bid document download / Sale start date	31.08.2020 at 05.00 PM	CPP Portal		
Bid submission Start date	31.08.2020 at 06.00 PM	CPP portal		
Clarification Start date	04.09.2020 at 11.30 AM	ICFRE (HQ), Dehradun		
Clarification End date	07.09.2020 at 03.30 PM	ICFRE (HQ), Dehradun		
Bid submission End date	14.09.2020 at 04.00 PM	CPP portal		
Opening date of Technical bids	15.09.2020 at 04.30 PM	Online		

- The Tender may be either modified or cancelled in part or full, at the discretion of the Assistant Director General (Admin.), ICFRE, without assigning any reason thereof.
- The bidder shall submit all the documents required as per tender document at the time of submitting bid. No document shall be accepted thereafter.

ADG (Admin)



... DEFINITIONS

- a) Assistant Director General (Admin), ICFRE, mentioned herein means the Assistant Director General (Administration), ICFRE Dehradun representing ICFRE; and his official successors, nominees as may be designated by ICFRE from time to time.
- b) EMD means Earnest Money Deposit
- c) PBG means Performance Bank Guarantee
- d) Firm means a duly registered Firm or Company registered under Indian Laws as such, and bidding for this tender.

3. SCOPE OF WORK

- a) The Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) invites tenders in the prescribed format for Comprehensive Maintenance Contract of three years for UPS for as per the Schedule-1 at ICFRE Hqrs., Dehradun.
- b) Maintenance Contract is comprehensive and will cover damage and burning of any part of the UPS and regular preventive as well as corrective services to all the UPS as per Schedule-1. All kind of cards and components inside the UPS including batteries, cables, connectors, power outlets, etc. on comprehensive basis.

Only Genuine parts with same or higher capacity/ configuration will be accepted, and these shall then become the property of ICFRE.

- c) The firm will depute at least one qualified and certified Resident Engineer with diploma in Computer Hardware and ample experience in maintenance of UPS, equipped with maintenance kits comprising of tool box, diagnostic software and hardware and any other tools and tackles. The engineer will report to the In-charge, Information Technology Division, ICFRE on all working days from 9:00 a.m. to 5:30 p.m. In addition to this, the firm must have a local backup support of a qualified Personnel, to take responsibilities of excessive work load and be ready to provide expertise, in need so arises. They may have to report even on holidays and after normal working hours during emergencies for which no extra charges would be paid. Engineer deputed shall be changed with the prior permission of the In-charge, ICFRE. Frequent changes of the engineer shall not be allowed.
- d) Preventive maintenance will be carried out during the last month of each quarter. On no account, equipment or its accessories shall be allowed to be taken out of its normal installed location. Only replacement of sub assemblies of the whole unit on a like-by-like or later version basis will be permissible and the replacement of such assemblies should be done with the written approval of In-charge, IT Division. No parts will be swapped

Asstt.Director General (Admin.)
Indian Counc. of Forestry
Research & Education
P.O.New Forest, Denradun

000 44c

between any two UPS. The UPS should maintain the backup time as referred in Schedule-I during the contract period.

e) The firm will keep fairly good stock of components at the site with the

resident engineers so as to minimize the downtime of UPS.

f) The firm shall provide new and genuine spare parts, assemblies and subassemblies in place of such items which develop defects/suffer breakdown during Maintenance Contract. These replaced parts shall be of same or higher configurations by the firm at their own cost after obtaining permission from ICFRE. The replaced part will be the property of ICFRE soon after installation.

The firm shall attend to and rectify the minor complaints on the same day. In case of major complaints, the equipment shall be set right and restored in working conditions within two days for the date of reporting of the fault. However, after deciding that it is a major fault, a standby unit shall have to be provided by the firm normally on the same day and, in case, not later than 12.00 noon on the following day, so that the work of the user/section does not suffer.

h) The firm shall be required to hand over all the equipment in working condition at the time of end / termination of the contract, otherwise the equipment found faulty, shall be made good at his risk and cost, by arranging its repair from external agencies. The accrued cost on such repairs, if any, shall be deducted from the liable payments/performance

guarantee as applicable.

4. PERIOD OF MAINTENANCE CONTRACT

a) Initially the contract shall be for three year subject to satisfactory fulfillment of the obligations laid down in the terms and conditions of contract in the tender document. The contract may be extended for the period of another two years if the services are found satisfactory.

b) The date of initiation of the contract will be the date of signing of the

contract.

5. PERFORMANCE SECURITY

a) To ensure due performance of the contract, Performance Security in the form of Performance Bank Guarantee (PBG) from a Nationalised Bank, needs to be submitted by the successful bidder. The successful bidder shall have to submit a PBG of 10% of the total contract value. The PBG should be valid for a period of six months beyond the contractual obligations. The PBG shall be submitted in the format given in Form-5.

b) The non adherence to the terms and conditions given herein and in subsequent Memorandum of Agreement with the successful bidder shall amount to breach of contract and may lead to forfeiture of Performance

Security amount in full or in part.

Asstt.Director General (Admin.)
Indian Courte Tostry
Ress on Fire Tostry
P.O.Nets Furest, Denradun

alifibri (appliet) valendi (daga alifoto (daga postano) (appliet) (appliet) (appliet) (appliet) (appliet)




0000 A1/c

- c) ICFRE may forfeit the Performance Security fully / partially against any kind of recoveries to be made from the firm for non performance / mandatory repairs during and at the end of the contract.
- d) Non-fulfillment of SLAs may further invite forfeiture of Performance Security amount partially or in full.
- e) No interest shall be payable on the Performance Security amount by ICFRE.

6. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

- a) Bidders are advised to study the tender document carefully. Submission of bids shall be deemed to have been done after careful study and examination of the tender document with full understanding of its implications.
- b) Any clarifications from ICFRE or any change in requirement shall be posted on www.icfre.gov.in and https://eprocure.gov.in. It shall be the sole responsibility of the bidder to check for any changes of aforementioned website before submitting the bids.
- iCFRE shall not be responsible for non-receipt / non-delivery of the bid documents due to any reason whatsoever.
- d) The bidder shall indicate the complete address of the Firm and work along with the name(s) of the contact person(s) and their telephone / Fax / Mobile Nos.(s) and other particulars as per Form-3.
- e) An EMD of `10,000/- (Rupees Ten Thousand only) in the form of Fixed Deposit Receipt or Bank Guarantee drawn on any nationalized bank in favour of Account Officer, ICFRE payable at Dehradun shall be deposited as a part of qualifying bid of the Tender. The EMD shall be returned to bidders upon finalization of the successful bidder and award of the contract. No interest shall be payable on the EMD by ICFRE. The EMD submitted by the bidder may be forfeited at any stage, if the bidder backs out of the bidding process after submitting the bids to ICFRE or fails to accept the work order issued to the firm.
- f) The bid prices for Comprehensive Maintenance Contract be quoted in the attached BOQ1.xls only.
- g) The bidders shall be allowed to inspect the machines in Schedule-I between 10.00 AM to 4.30 PM on all working days before the last date of submission of the tender. The firm shall raise a formal request for the purpose to In-charge, IT Division, ICFRE Head Qtrs. ICFRE shall not be responsible for any cost incurred on such inspections.
- h) Acceptance of the bid shall be communicated to the successful bidder by a formal Letter of Intent (LoI).
 - i) Within thirty days of issue of Letter of Intent (LoI) the successful bidder shall:
 - Sign a contract with ICFRE for Comprehensive Maintenance Contract for the period of three year on a stamp paper of Rs. 100/- to be furnished by the firm.
 - · Furnish a Performance Security (as per the Form-5) issued by a

waiting the contraction of the property of



Asstt.Director Coneral (Admin.)
Indian Council of Fores by
Research & Education
P.O.New Forest, Dehradun

60,40

Nationalised Bank in favour of Account Officer, ICFRE, having validity of six months beyond the date of expiry of the Contract, for an amount equivalent to 10% of the total contract value.

• Furnish a duly acknowledged list of hardware taken over under

Maintenance Contract by the firm as a part of the agreement.

- from issue of letter of intent through submission of letter of acceptance accompanied with requisite Performance Guarantee, Rs. 100/- Stamp paper and a Pre- Maintenance Contract List of UPS to be put into Maintenance Contract as detailed in previous para. The delay in commencement of assignment attributed to the vendor shall amount to a default and forfeiture of EMID received along with the tender document.
- k) The firm shall take over the UPS from the preceding firm in working condition. However, the inspection of newly added UPS will be done before the start of Maintenance Contract along with a person deputed from the IT Division, so that the working status of the UPS could be checked and the UPS added to the list of UPS under Maintenance Contract.

1) The ADG (Admin), reserves with him the right of subsequent addition of UPS to Maintenance Contract due to any reason like transfer / expiry of warranty etc. The equipment shall be deemed under the contract from the date of its inclusion and its payment shall be admissible from its effective date of inclusion only.

- m) The ADG (Admin), reserves with him the right of exclusion of UPS in the Maintenance Contract, as and when required, under intimation to all concerned. The payment of such exclusions shall be adjusted accordingly.
- n) In case the downtime of UPS increases beyond two working days, a penalty will be imposed at the rate of Rs. 50/- per day per UPS for each subsequent day.
 - o) The inordinate absence of the engineer shall invite penalty to the firm. An amount of Rs. 250/- per engineer / per day shall be deducted from the corresponding quarterly payments for every absence of the posted engineer. The engineer(s) may have to report after regular working hours and on holidays in case of emergency, for which the ICFRE shall not be liable to make any extra payments.
- p) It shall be the liability of the firm to carry out onsite corrective maintenance and in no case it shall be allowed to take the UPS out of the campus without the permission of In-charge, IT Division.
 - q) The resident engineers shall submit reports on a regular basis to In-charge, IT Division, ICFRE of all the UPS serviced / repaired / maintained during the quarter along with call slips / service slips / maintenance slips duly signed by the users. Separate reports on prescribed formats shall be furnished for preventive and corrective maintenance.

Asstt.Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O.New Forest, Dehradun

Assit Director Develop (Individual Indian (Stunding) Forming (Newston & Edison of P.O. Alley Former (States of P.O. Alley Former (P.O. Alley)






- r) Initially the Maintenance Contract will be valid for a period of three year, but the Assistant Director General (Admin) will have the discretion to extend/curtail the contract period in the interest of ICFRE, as the situation may be.
- s) In any case the bidder shall have to quote the prices for all the listed UPS.
- t) EMD of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand only) is liable to be forfeited if wrong information is furnished as regards to the technical and financial proposals.
 - u) Conditional tenders are liable to be rejected.
 - v) The Assistant Director General (Admin), Indian Council of Forestry Research & Education, Dehradun reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reasons.

7. CONTRACT

- (a) The "Scope of Work" and "General Terms and Conditions" as given in this tender document shall form part of the contract.
- (b) If any part of the contract does not correspond or agree with any other part, or if any question arises as to the meaning of the terms of the contract or as to the performance of the work, ADG (Admin), ICFRE shall determine the matter and his decision shall be final and binding upon the parties hereto.
- (c) The contract when executed by the parties hereto shall constitute the entire contract between the parties in connection with the works covered, and shall be binding upon the parties hereto or upon either of them unless any modification are done in writing and duly executed by ICFRE and the firm.
- (d) The contract shall not be assigned or sublet in whole or in part by the firm without prior written consent of ADG (Admin), ICFRE. Any assignment or subletting of this contract by the firm or any interest therein, or of any money due or to become due by reason of the terms hereof, shall be null and void without prior written consent of ADG (Admin), ICFRE having been obtained.
- (e) ADG (Admin), ICFRE has the powers to cancel the contract at thirty days notice, if the services of the firm are found unsatisfactory or otherwise.
- (f) The initial contract shall be valid for a period of three year subject to satisfactory fulfillment of the obligations under the contract. ICFRE reserves the right to renew/extend the contract on the same terms and conditions on yearly basis, for a period extending up to two years in case the ICFRE feels the necessity to do so.
- (g) This contract shall not be deemed an asset of the firm in any form.
 - (h) No legal proceedings to enforce any claim and no suite arising out of this contract shall be instituted except in a court of competent jurisdiction over Dehradun, Uttarakhand.



Asstt.Director Operat (Admin.)
Indian Count of Forestry
Research & Education
P.O.New Forest, Dehradun

32

 Francelly the Alphatemerce Community will be vield for a period of three years but the Application Limits for Community with have the electrone to extend Political Sections of the Community of the


8. PAYMENT TERMS

- a) Payment will be made after the satisfactory completion of work in each quarter on receipt of bill in triplicate along with Preventive Maintenance Reports dully acknowledged by the user on prescribed formats, in respect of each individual equipment. Payment will be released after deduction of penalties accrued due to unsatisfactory maintenance, as a result of scrutiny of preventive maintenance reports and other service level agreements, submitted along the bill. Such deductions shall be binding on the firm.
- b) The payment is subject to TDS as per Income Tax Rules / Laws. The ICFRE shall deduct such taxes, duties and any other statutory levies imposed by the Government on such charges as may arise from the implementation of the contract agreement.
- c) The violation of any of these terms and conditions mentioned in the Tender Document, the whole or part of Performance Bank Guarantee shall be liable for forfeiture, as decided by the ADG (Admin), ICFRE. Such decisions shall be the binding on the firm.

9. ARBITRATION

Except where otherwise provided in the contract all questions and disputes whatsoever in any way arising out of or relating to the contract or otherwise concerning the work or the execution or failure to execute the same whether arising during the progress of the Maintenance Contract or after the completion or abandonment thereof shall be referred to the sole arbitration of the person appointed by the Director General, Indian Council of Forestry Research & Education, (DG, ICFRE) Dehradun on his behalf at the time of dispute. There shall be no objection to any such appointment that the arbitrator so appointed is an employee of ICFRE, or government servant or that he/she had to deal with the matters to which the contract relates or that in the course of his/her duties as an employee of ICFRE, or government servant, he had expressed views on all or any of the matters in dispute of differences. The arbitrator to whom the matter is originally referred being transferred or vacating his/her office or being unable to act for any reason, shall be replaced by another person as decided by DG, ICFRE, to act as arbitrator in accordance with the terms of the contract. Such person shall be entitled to proceed with the reference from the stage at which it was left by his/her predecessor. It is also a term of this contract that no person other than a person appointed by the Director General, ICFRE should act as arbitrator and if for any reason, that is not possible, the matter is not to be referred to arbitration at all.

Subject as aforesaid, the provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996 or any statutory modifications or re-enactment thereof and the rules made there under and for the time being in force shall apply to the arbitration proceeding under this clause.



Asstt.Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Hucatlon
P.O.New Forest, Dehradun





Services under the contract shall, notwithstanding the existence of any such dispute, question or controversy, continue during arbitration proceedings and no payment, due or payable by ICFRE or the firm shall be withheld on account of such proceedings unless such payments are the direct subject of the arbitration. Reference to arbitration shall be a condition precedent to any other action at law.

10. PREPARATION AND SUBMISSION OF PROPOSAL

The proposals must consist of two separate sealed envelopes as follows:

- Online bids are to be submitted under two Cover systems i.e. Cover 1 and Cover
 All the pages of bid being submitted online must be signed and sequentially numbered by the bidder irrespective of nature of content of the documents before uploading.
- ii) The proposal should not have any interlineations or overwriting except as necessary to correct errors made by the concerned themselves, in which cases such corrections must be initialed by the person or persons authorised to sign the proposal. No Financial Bid items pertaining to this tender shall be submitted as part of the qualifying documents and/or in the technical bid stage. In case of violation of this condition, the bid shall be rejected and no communication shall be entertained in this matter.
- iii) The completed proposal must be submitted mandatorily online at CPP portal https://eprocure.gov.in/eprocure/app after going through the terms and conditions given thereof. The offers submitted by Fax/email/offline shall not be considered and no correspondence shall be entertained in this matter.
- iv) The tender is not transferable. No assignment and sub contracting is permitted.
- v) Validity of offer shall be 120 days from the last date of submission of bids.
- vi) While submitting the bid, the bidder shall be deemed to have read, understood and accepted all the terms and conditions stated in this Tender Document.
- vii) ADG (Admin), ICFRE reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reasons.
- viii) The authority for the acceptance of the tender shall rest with the ICFRE. It shall not be obligatory on the authority to accept the lowest tender or any other tender and no tenderer (s) shall demand any explanation for the cause of rejection of his/their tender nor shall ICFRE undertake to assign reasons for declining to consider or reject any particular tender or tenders.
- ix) Conditional tenders are liable to be rejected.

Cover 1. Technical Bid A: Qualifying Documents

The qualifying documents should be uploaded in CPP portal: https://eprocure.gov.in/eprocure/app as indicated below. The authorized

Assit Director General (Admis.) Indian Council of Fine dry Research & Education P.O.New Forest, Dehradun

to the state of th



representative of Tenderer/Bidder has to sign the following documents on each page and the scanned copy of the documents in pdf format to be uploaded in CPP portal for qualifying in the bidding process:

- i) Tender Fee:-The tender form downloaded from CPP portal must include Rs. 500/- (Rupees five hundred only) by crossed Demand Draft (DD) in favour of Account Officer, ICFRE, payable at Dehradun as tender fee along with the tender submitted and the scanned copy of the same shall be uploaded in the CPP portal for records and reference. It is nonrefundable. The hard copy of DD towards Tender fee shall be send to PO, ICFRE, Dehradun-248006 and must be received on or before the last date/time of bid submission.
- ii) EMD of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only) in the form of Fixed Deposit Receipt (FDR) drawn on nationalised bank in favour of Account Officer, ICFRE, payable at Dehradun as EMD along with the tender submitted and the scanned copy of the same shall be uploaded in the CPP Portal for records and reference. The hard copy of FDR towards Tender fee shall be send to PO, ICFRE, Dehradun-248006 and must be received on or before the last date/time of bid submission.
- Dully filled Form 1: Format of Curriculum Vitae (CV) of Proposed Key Staff with the following precautions
 - The majority of the key professional staff proposed must be permanent employees of the firms.
- Proposed staff must have sufficient experience in maintenance and repair of machines.
- Alternative to key professional staff may be proposed with persons having equivalent qualification and separate C.V. with latest passport size photographs be submitted for each position.
- iv) Dully filled Form 2: Assignment of Similar Nature & Magnitude Successfully Completed During last 5 years
- v) Documentary proof of Maintenance Contract of similar quantum and nature being done by the bidder, one of which must be for a government organization during last two financial years (viz.; 2017-18 and 2018-19).
 - vi) Performance certificates for rendering satisfactory services in respect of at least three Maintenance Contracts handled by the bidder (with at least one certificate from a government organization having similar quantum and nature of work) during last two financial years.
 - vii) Dully filled Form 3: Particulars of the Tenderer
 - viii) Dully filled in Form 4: Bid Proposal Sheet.

A Control of

- ix) GSTIN, PAN, TAN allotted to the company by the Income Tax Department.
- x) A Certificate to the effect that the company is in the business of maintenance of computer hardware for at least five years (from the





authorized signatory of the company) as applicable. With supporting documents

- xi) Proof of registration as company / firm.
- xii) Copy of income tax returns filed in financial 2017-18 and 2018-19.
- xiii) Authorization for signing the bid.
- xiv) Proof of having a functional office at Dehradun from last 5 years.

Note: - The physical copy of DD/FDR towards tender fee and EMD respectively shall be submitted to the specified address on or before the last date/time of bid submission.

In absence of scanned and signed copy of required qualifying items as specified above - the tender would be considered as invalid.

Cover 2: Financial Bid

(a) The financial proposal must be submitted in the Schedule of financial bid in the form of BoQ1.xls separate for each item - though the CPP portal: https://eprocure.gov.in/eprocure/app.

PROPOSAL EVALUATION

The opening, checking, evaluation of bids at various stages shall be done by an evaluation committee appointed by the ICFRE. The following procedure shall be adopted in evaluating the proposals:-


The bid shall be checked for all qualifying documents submitted by the bidder in the **Cover I** and disqualification amongst these documents shall lead to the rejection of the bid in toto.

- Financial bids of only those firms which pass the qualifying document stage shall be considered for financial evaluation.
- The evaluation committee shall determine if the financial proposals are complete and without computational errors. The total cost quoted in BOQ.xls for Maintenance Contract shall be considered for financial evaluation.

Overall Evaluation

The firm which has passed the qualifying document stage and thereafter is having lowest financial quote shall be selected for the award of the contract for Comprehensive Maintenance Contract for the UPS for three years.

Indian Council of projectry
Research & Education
P.O.New Forest, Dehradun



FORM-1


FORMAT OF CURRICULUM VITAE (C.V.) FOR PROPOSED KEY STAFF

Proposed Position	$\{\{(i,i,j,j,j,j,j,j,j,j,j,j,j,j,j,j,j,j,j,j$
Name of Firm	Commence of the commence of th
Name of Staff	
Profession	\$
Date of Birth	\$
Years with Firm	: Nationality:
Membership of Pro	ofessional Societies:
assignment.	
Technical qualific (Summarize	ation: specialized qualification of staff member, giving names of institutes , attended and degrees, diploma, certificates obtained. Use up to quarter
page).	devenuelle sent devosine northalitorielle nes 4 veso) ou
Employment Reco	ord: Antibulary is made to be expected that some and the
positions hel organization, ten years, als	th present position, list in reverse order, every employment held. List all ld by staff member since graduation, giving dates, names of employing title of positions held and location of assignments. For experience in last give types of activities performed and client references, where appropriate ree quarters of a page).

Signature of the proposed key staff to be attested by the employer firm.

Line 1 Street of Control (Assistance)
Line 2 Control of Control of

Asstt, Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O.New Forest, Dehradun



FORM-2

ASSIGNMENT OF SIMILAR NATURE & MAGNITUDE SUCCESSFULLY COMPLETED DURING LAST 5 YEARS

Outline of recent experience on assignments of similar nature

SI. No.	Name of Assign- ment	Description and No. of UPS handled / maintained	Cost of assign- ment	Date of commen- cement	Date of completion	Was assignment satisfactorily completed	Address of organisation with Phone No. where assignment done
1	2	3	4	5	6	7	8
						ori etu Komaniya ne etu Komaniya ne etu komaniya	
				Teach a c		Ravene seeds Melsones	Tu antigundu Joseph
			Burning)			trametry	
						The state of the s	
						to distribute	
					E Ball	A beforenteren	Danie

Note: Please provide documentary evidence for above listed assignments.



Asstt.Director General (Admin.)
Indian Council - prestry
Research & Loucation
P.O.New Forest, Dehradun


1000 32

FORM-3 PARTICULARS OF THE TENDERER

1.	Nam	e of the Tenderer	
2.	Head	l / Regd. Office Address	
	a)	Postal	
	b)	Fax. No.	
	c)	Telephone No.s (s)	
	d)	Email Address	
	e)	Website Address	
3.	0-040	ner name of Tenderer (if any)	
4.		adun Office Address	
	a)	Postal	
	b)	Fax. No.	
	c)	Telephone No.s (s)	
	d)	Email Address	
(Subn			having a local office at Dehradun is mandatory)
5.		of Organization	: Individual/Partnership/Public Limited/
	TO WINE		Private/Proprietary Limited
6.	Year	of establishment	
7.	Amo	unt of EMD deposited	
	a)	FDR/Bank Guarantee No.	
	b)	Bank Detail	
	c)	Amount	
8.	Nam	e, Designation and Address	
		e authorized signatory /	
		act person for this Quotation	
		90 A 12 C MED 200 C (1)	
9.	Whe	ther letter of Authority for	
		iding bid opening	
		osed with Quotation?	
10.	Whe	ther PAN certificate attached	1? ;
11.	GST	In/Service Tax / VAT / Sale	s Tax Regd. No. :
12.	Whe	ther the Tenderer has	
	ISO (Certification ?	
	If ye	s / whether document attach	ned .
		chnical bid.	
			Signature of Bidder
			Name
			Office Seal
Date:			
Place :			

Anna Color C

Asstt.Director General (Admin.) Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O.New Forest, Dehradun



FORM-4 BID PROPOSAL SHEET

Tenderer's Proposal Reference No. &	Date:			
Tenderer's Name & Address:	Elijal 19	i de application	sound marin t	
Person to be contacted:	a or little and but	toge made		
Designation:	din on horizontal	to had so	alteror torpia	big
Telephone No. Email: Fax No:		northin!	Name velos	

To:

The ADG (Admin) ICFRE, P.O. New Forest, Dehradun 248006

Sub: Maintenance Contract for UPS -reg

Dear Sir,

- We, the undersigned Tenderer(s), having read and examined in detail the bidding documents in respect of the above cited maintenance contracts as specified in the tender document.
- All the prices mentioned in our proposal are in accordance with the terms as specified in the tender document. All the prices and other terms and conditions of this proposal are valid for a period of 120 calendar days from the last date of submission of bids.
- We do hereby confirm that our bid prices include all taxes including Income Tax,
 Professional Tax and Service Tax etc.
- 4. We have studied the Clauses relating to Indian Income Tax and hereby declare that if any Income Tax, Surcharge on Income Tax and any other Corporate Tax is altered under the law, we shall pay the same.
- 5. We have enclosed the Earnest Money Deposit of Rs. 10,000/- (Rupees ten Thousand only), and we understand that it is liable to be forfeited in accordance with the provisions of tender document.
- We further declare that the prices stated in our proposal are in accordance with your terms & conditions in the bidding document.
- 7. We confirm having submitted qualifying data as required by you in your tender document. In case you require any further information /documentary proof in this regard before evaluation of our bid, we agree to furnish the same in time to your satisfaction.
- We hereby declare that in case the contract is awarded to us, we shall submit the
 performance Guarantee in the form of Bank Guarantee as per terms of tender
 document.
- 9. We hereby declare that our proposal is made in good faith, without collusion or



Applicator Consists (identic) Indian Council of Procests Research 3 basepoor P.O. New Council Connection



fraud and the information contained in the proposal is true and correct to the best of our knowledge & belief.

We understand that you are not bound to accept the lowest or any bid you may 10. receive or to place part order or to reject any bid or to cancel the tender without assigning reason whatsoever.


Yours faithfully,

(Signature)

Date: 1858 the framework from the second ground Name: 1858 the first land and the second

Place: Designation:

Business Address: Seal




FORM-5

PROFORMA FOR BANK GUARANTEE


(To be Stamped in accordance with Stamp Act if any, of the country for issuing bank)

	Datik Guardinee .
Date:	
(Hereinafter referred as the 'ICFR context of meaning thereof include awarded to M/s which expression shall, unless repsuccessors, administrators and of the Letter of Intent (LoI) data agreed the Vendor shall furnish to (in	cil of Forestry Research and Education, Dehra Dun RE', which expression shall, unless repugnant to the de its successors, administrators and assigns) having thereinafter referred to as the 'Vendor', bugnant to the context of meaning thereof include its assigns) resulting in a Contract Valued for hereinafter called the 'Contract' and after the receipt with the Vendor and ICFRE having to ICFRE a Performance Bank Guarantee for Rupees in words and figures) towards faithful performance of
successors, administrators execute to pay the ICFRE immediately on the extent of demur, reservation, contest, resou consultant. Any such demand ma- binding notwithstanding any differ pending before any Court, Tribur	(Name of Bank) having its Head Office at hereinafter referred to as the Bank), which int to the context or meaning thereof, include its ors and assigns) do hereby guarantee and undertake demand an or, all amount payable by the Vendor to as aforesaid at any time upto any arce or protest and / or without any reference to the de by the ICFRE on the Bank shall be conclusive and erence between the ICFRE and Vendor or any dispute hal, Arbitrator or any other authority. We agree that all be irrevocable and shall continue to be enforceable antee.

The ICFRE shall have the fullest liberty without affecting in any way the liability of the Bank under the Guarantee, from time to time to vary the advance or to extend the time of performance of the Contract by the Vendor. The ICFRE shall have the fullest liberty without affecting this guarantee, to postpone from time to time the exercise or any powers vested in them of any right which they might have against the ICFRE and to exercise the same at any time in any manner, and either to enforce or to forbear to enforce any covenants, contained or implied, in the Contract between the ICFRE and



Assit, Director General (Admin.)
Indian Council of Thestry
Research & Eug. (20)
P.O.New Forest, Denradur



Vendor any other course or remedy or security available to the ICFRE. The bank shall not be relieved of its obligations under these presents by any exercise by the ICFRE of its liberty with reference to the matters aforesaid or any of them or by reason of any other act or forbearance or other acts of omission or commission on the part of the ICFRE or any other indulgence shown by the ICFRE or by any other matter or thing whatsoever which under lay would but for this provision have the effect of relieving the Bank.


The Bank also agrees that the ICFRE at its option shall be entitled to enforce this Guarantee against the Bank as a principal debtor, in the first instance without proceeding against the vendor and notwithstanding any security or other guarantee that the ICFRE may have in relation to the vendor's liabilities.

The Bank further agrees that the Guarantee herein contained shall remain in full force during the period that is taken for the performance of the contract and all dues of ICFRE under or by virtue of this contract have been fully paid and its claim satisfied or discharged or till ICFRE discharges this guarantee in writing, whichever is earlier. This Guarantee shall not be discharged by any change in our constitution, in the constitution of ICFRE or that of the Vendor.


The Bank confirms that this Guarantee has been issued with observance of appropriate laws of the country of issue. The Bank also aggress that this Guarantee shall be governed and construed in accordance with Indian Laws and subject to the exclusive jurisdiction of Indian Courts of Dehradun.

limited to Rupees	, contained herein at	pove our liability under the guarantee is (in words and figures) and our
of bank guarantee).		(indicate the date of expiry
Dated this day of	201 at	and the REAR of which each of the property of

Signature & Seal of Authorised Signatory of Bank



Asstt.Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O.New Forest, Dehradun



Schedule-I

Tentative List of UPS at ICFRE Head Qtr, Dehradun

A. LIST OF UPS

SI. No.	BRIEF SPECIFICATION	Qty.
1	AVO 3.0 KVA with backup time of 1 hr (12 V 42 AH with 8 Batteries)	04
2	AVO 650 VA with backup time 10 to 15 minutes	170
3	APC BR600C1 600 VA	06

The above number are tentative, the final list as per specification shall be drawn as per the inspection of the machines done by the service engineer of the firm in presence of the authorized person of Information Technology Division. (The comprehensive list for the purpose of survey shall be provided by this office on demand). The authorized representative of the firm may, if required, check the specifications in case of laptop.

(Signature)

Date:

Place:

Name:

Designation:

Business Address: Seal

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् पी.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून — 248006

अनइण्टरप्टेड पावर सप्लाई (यू.पी.एस.) के रखरखाव का अनुबंध

हेतु

निविदा अभिलेख

37 /क्रवि. / यू.पी.एस. / ए.एम.सी. / प्रशा. / भा.वा.अ.शि.प. / 2019–20

दिनांक :

विषय—वस्तु

	A	पृष्ठ
क्र.सं.	विवरण	1
1	निविदा कार्यक्रम (शिड्यूल)	1
2	परिभाषाएं	1
3	कार्य की व्यापकता	3
4	रखरखाव अनुबंध की अवधि	3
5	निष्पादन प्रतिभृति	
6	सामान्य नियम एवं शर्ते	3
	अनुबंध	5
	भुगतान की शर्त	6
8	मध्यस्थता	6
9	प्रस्ताव का निर्माण तथा प्रस्तुति	7
10	क्रमान ग्रह्माकन	10
	प्रस्ताव मूख्य कर्मचारियों के व्यक्ति-वृत्त का प्रारूप	11
प्रपत्र – 1	विगत 5 वर्षों के दौरान इसी प्रकार तथा महत्ता के	12
प्रपत्र – 2	विगत ५ वर्षा क दारान इसा अपगर सना	
	सफलतापूर्वक निष्पादित कार्यों का विवरण	13
प्रपत्र - 3	निविदाकार का विवरण	14
प्रपत्र – 4	बोली प्रस्ताव प्रपत्र	16
प्रपत्र – 5	बैंक गारण्टी प्रपत्र	1
सारिणी – ।	भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय, देहरादून में संभावित यू.पी.एस.	. 18
	की सूची	

ई-निविदा आमंत्रण नोटिस सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग भारतीय वांनिकी अनुसंघान एवं शिक्षा परिषद् पोस्ट ऑफिस - न्यू फॉरेस्ट, देहरादून

(पर्यावरण, वन एवं जलावायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त निकाय)

् निविदा 🐲 /क्रवि. / यू.पी.एस. / ए.एम.सी. / प्रशा. / भा.वा.अ.शि.प. / 2019—20 दिनांक ः

अनइण्टरप्टेड पावर सप्लाई (यू.पी.एस.) के रखरखाव अनुबंध

हेतु

ई-निविदा नोटिस

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (भा.वा.अ.शि.प.), देहरादून द्वारा पात्र तथा प्रतिष्ठित फर्मों से यू.पी.एस. रखरखाव के क्षेत्र में अनुभव के साथ-साथ देहरादून, उत्तराखण्ड में सर्विस / सर्पोट केन्द्र की उपस्थिति रखने वाली फर्मों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

> सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भा.वा.अ.शि.प. भा.वा.अ.शि.प., देहरादून

निविदा कार्यक्रम (शिड्यूल)

1. निविदी कार्यक्रम (सिञ्जूर	1)	कार के निया नाता
सत्र	महत्वपूर्ण तिथि / समय	भा.वा.अ.शि.प. तथा केन्द्रीय लोक
ii ii	·	प्रापण (CPP) पोर्टल 🔸
बोली अभिलेख डाउनलोड / सेल	31.08.2020 सांय 3.00 बजे	केन्द्रीय लोक प्रापण (CPP) पोर्टल
प्रारम्भ तिथि	1	the state of the s
बोली प्रस्तुत करने की आरम्भ	31.08.2020 सांय 6.00 बजे	CPP YICH
ि तिथि		
बोली जमा करने की अंतिम	14.09.2020 सांय 4.00 बजे	CPP पाटल
तिथि		
तकनीकी बोली खोलने की	15.09.2020 सांय 4.00 बजे	आनलाइन
तिथि		The second secon

2. परिभाषाएं

- a) सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भा.वा.अ.शि.प., एतद्पश्चात उल्लिखित का आशय भा.वा.अ.शि.प. का प्रतिनिधित्व करने वाले सहायक महानिदेशक (प्रशासन) तथा उनके आधिकारिक उत्तराधिकारियों, समय—समय पर भा.वा.अ.शि.प. द्वारा निर्दिष्ट उनके नामनिर्देशितियों से है।
- b) ई.एम.डी. का आशय जमा बयाना धनराशि से है।
- c) पी.बी.जी. का आशय निष्पादन बैंक गारण्टी से है।
- d) फर्म का आशय भारतीय विधि के अंतर्गत इस निविदा में बोली के लिए विधिवत पंजीकृत फर्म या कम्पनी से है।

3- कार्य की व्यापकता

- भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (भा.वा.अ.शि.प.) भा.व.अ.शि.प., मुख्यालय, देहरादून में सारिणी — 1 के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रारूप में यू.पी.एस. के व्यापक रखरखाव के लिए निविदा आमंत्रित करती है।
- b) रखरखाव अनुबंध व्यापक है तथा सारिणी 1 के अनुसार यू.पी.एस. के किसी भी भाग की क्षति एवं दहन तथा सभी यू.पी.एस. के नियमित निवारक तथा सुधारात्मक सेवाओं को सिमलित करेगा। यू.पी.एस. के अंदर सभी प्रकार के कार्ड्स तथा घटक जिसमें बैटरियां, केंबल, कनेक्टर, पावर आउटलेट्स इत्यादि रिमिलित हैं को व्यापक रूप से सिमलित करेगा।

केवल उसी या उच्च क्षमता / कॉन्फिगरेशन के वास्तविक पुर्जों (पार्ट्स) को ही स्वीकार किया जाएगा तथा वह तत्पश्चात भा.वा.अ.शि.प. की संपत्ति बन जाएंगें।

- c) फर्म, कम्प्यूटर हार्डवेयर में डिप्लोमा तथा यूपी.एस. के रखरखाव में पर्याप्त अनुभव धारण करने वाले न्यूनतम एक पात्र तथा प्रमाणित स्थानिक अभियंता को रखरखाव किट जिसमें टूल बॉक्स, नैदानिक सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर तथा अन्य किसी टूल और सामग्रियों के साथ प्रतिनियुक्त करेगी। अभियंता सभी कार्यदिवसों पर पूर्वाइ 9.00 से अपराइ 5.30 तक प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, भा.वा.अ.शि.प. को रिपोर्ट करेगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी आवश्यकता की स्थिति में फर्म के पास स्थानीय बैक—अप सपोर्ट तथा अत्यधिक कार्य—भार के उत्तरदायित्व को ग्रहण करने के लिए योग्य कर्मचारी होने चाहिए। आकर्स्मिक स्थिति के दौरान उन्हें अवकाश के दिन तथा सामान्य कार्य दिवसों के पश्चात भी रिपोर्ट करना पड़ सकता है, जिसके लिए उन्हें कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रतिनियुक्त किए गए अभियंता को प्रभारी, भा.वा.अ. शि.प. की पूर्व अनुमति के बिना नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। अभियंता में नियमित रूप से परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- d) प्रत्येक तिमाही के अंतिम माह के दौरान निवारक रखरखाव किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, उपकरणों या उसके सहायक उपकरणों को उनकी समान्य अधिष्ठापित अवस्थिति से नहीं लेकर जाया जाएगा। संपूर्ण इकाई के उप—असेम्बलियों की यथास्थिति से प्रतिस्थापन की अनुमित है तथा ऐसी एसेम्बलियों का प्रतिस्थापन प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी की लिखित अनुमित के द्वारा ही किया जाना चाहिए। किसी भी दो यूपी.एस. के मध्य पुर्जी (पार्ट्स) का विनमय नहीं किया जाएगा। अनुबंध अवधि के दौरान सारिणी 1 में उल्लिखित के अनुसार यू.पी.एस. ने बैकअप समय को बनाए रखना होगा।
- e) यू.पी.एस. के रूकावट समय को न्यूनतम करने के लिए फर्म को स्थानिक अभियंता के पास अवस्थिति पर घटकों का प्रचुर भण्डार रखना होगा।
- 1) रखरखाव अवधि के दौरान, किसी भी वस्तु के स्थान पर जोकि खराबी/व्यवधान विकसित करती है, के स्थान पर फर्म नवीन तथा वास्तविक स्पेयर पार्ट्स, असेम्बली तथा उप—असेम्बली प्रदान करवाएंगी। भा.वा.अ शि.प. से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात फर्म अपने स्वयं की लागत पर प्रतिस्थापित किए जाने वाले भागों को उसी या उच्च कॉन्फिगरेशन में प्रदान करवाएंगी। धिष्ठापन पश्चात, प्रतिस्थापित किए गए पार्ट्स भा.वा.अ.शि.प. की संपदा होंगे।
- g) फर्म छोटी शिकायतों को उसी दिन अटैण्ड करेगी तथा निवारण करेगी। प्रमुख शिकायतों की स्थिति में, फाल्ट दर्ज होने की तिथि के दो दिनों के अंतर्गत उपकरण को चालू तथा कार्य-दशा में मरम्मत करना होगा। हालांकि, यह निर्णय लेने के पश्चात कि यह एक मुख्य फाल्ट है, फर्म द्वारा समान्यतः उसी

दिन एक एवजी इकाई प्रदान करनी होगी, इस रिथित के अन्यत्र अग्रेतर कार्यदिवस में पूर्वाह 12.00 से प्रदान करनी होगी, जिससे कि उपभोक्ता/अनुभाग का कार्य बाधित न हो।

h) अनुबंध समाप्ति/अंत की स्थिति में सभी उपकरणों को चालू अवस्था में हस्तांतरित करना होगा, अन्यथा दोषपूर्ण उपकरणों को अपने स्वयं के जोखिम तथा लागत में बाहृय अभिकरणों से मरम्मत करवानी होगी। ऐसी मरम्मतों पर वहन की गई लागत की कटौती लागू देय भुगतान/प्रदर्शन गारण्टी से करनी होगी।

4. रखरखाव अनुबंध की अवधि

क) निविदा अभिलेख में वर्णित नियम एवं शर्तों के अधीन कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन के अधीन अनुबंध की अविध प्राथमिक रूप से तीन वर्षों की होगी। सेवाओं के संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में अनुबंध को अगले दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

ख) अनुबंध के प्रारम्भन की तिथि ही अनुबंध को हस्ताक्षर करने की तिथि होगी।

5. प्रदर्शन प्रतिभूति

- a) अनुबंध के यथोचित प्रदर्शन के निष्पादन के लिए, सफल बोलीदाता द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रदर्शन बैंक गारण्टी (पी.बी.जी.) के रूप में प्रदर्शन प्रतिभूति जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता को कुल अनुबंध मान के 10 प्रतिशत की पी.बी.जी. जमा करनी होगी। पी.बी.जी. अनुबंध कर्तव्यों से छह माह की तिथि तक देय होगी। पी.बी.जी. को प्रारूप-5 में प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार जमा करना होगा।
- b) एतद्वर्णित नियमों एवं शर्तों तथा सफल बोलीदाता के साथ अग्रेतर समझौता ज्ञापन के अपालन से प्रदर्शन प्रतिभृति को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जब्त किया जा सकता है।
- c) अनुबंध के दौरान तथा समाप्ति पर फर्म से मरम्मतों के नहीं किए जाने पर भा वा.अ.शि.प. प्रदर्शन प्रतिभृति को पूर्ण रूप से आंशिक रूप से जब्त कर सकता है।
- d) एस.एल.ए. की गैर-पूर्ति पर प्रदर्शप प्रतिभूति को आंशिक रूप से जब्त कर सकता है।
- e) भा.वा.अ.शि.प. द्वारा प्रदर्शन प्रतिभूति पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

6- समान्य नियम एवं शर्ते

- a) बोलीदाताओं को निविदा अभिलेख के ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। बोली की प्रस्तुति निविदा अभिलेख तथा इसके निहिताओं को पूर्ण रूप से समझ कर, ध्यानपूर्वक अध्ययन तथा निविदा अभिलेख के परीक्षण पश्चात की जाएगी।
- b) भा.वा.अ.शि.प. द्वारा किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण तथा आवश्यकताओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन www.icfre.gov.in तथा https://eprocure.gov.in पर पोस्ट किया जाएगा। बोलियों की प्रस्तुति से पूर्व किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए उपर्युक्त वेबसाइट की जाँच करना बोलीदाता का स्वयं का उत्तरदायित्व होगा।
- c) भा वा अ.शि.प. किसी भी कारणवश बोली अभिलेखों की प्राप्ति नहीं होने / नॉन डिलीवरी पर उत्तरदायी नहीं होगा।
- d) बोलीदाता **फॉर्म 3** के अनुसार फर्म का पूर्ण पता तथा उसके साथ सम्पर्क व्यक्ति(यों) का नाम तथा उनका दूरभाष/फैक्स/मोबाइल नं. तथा अन्य विवरण इंगित करेगा।
- e) निविदा की अर्हक बोली के रूप में लेखा अधिकारी, भा.वा.अ.शि.प. के पक्ष में, देहरादून में देय किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जमा धनराशि रसीद या बैंक गारण्टी के रूप में आहरित रु. 10,000/— की जमा बयाना धनराशि को प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाताओं को सफल बोलीदाता की घोषणा तथा अनुबंध प्रदान किए जाने के साथ जमा बयाना धनराशि वापस कर दी जाएगी। जमा बयाना धनराशि पर भा.वा.अ.शि.प. द्वारा कोई भी ब्याज नहीं अदा किया जाएगा। यदि बोलीदाता, भा.वा.अ.शि.प. को प्रस्तुत बोली प्रक्रिया से पीछे हट जाता है या फर्म को निर्गत कार्यादेश को स्वीकार करने में विफल होता है, उसके द्वारा जमा बयाना धनराशि को किसी भी चरण के दौरान जब्त कर दिया जाएगा।
- f) व्यापक रखरखाव अनुबंध के लिए बोली मूल्य का उद्वरण संलग्न BOQ1.xls में ही किया जाना चाहिए।
- g) बोलीदाताओं को सारिणी—1 में वर्णित मशीनों के निरीक्षण की अनुमित निविदा प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि से पूर्व सभी कार्यदिवसों पर पूर्वाह्न 10.00 से अपराह्न 4.30 तक होगी। इस उद्देश्य के लिए फर्म प्रभारी,

सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग के समक्ष औपचारिक निवेदन प्रस्तुत करेंगे। भा.वा. अ.शि.प. ऐसे निरीक्षणों पर होने वाले व्यय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

 h) सफल बोलीदाता को बोली की स्वीकृति के संबंध में सम्प्रेषण औपचारिक आशय-पत्र (Lol) के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

i) आशय-पत्र (LoI) निर्गत होने के तीस दिनों के अंतर्गत सफल बोलीदाता -

 फर्म द्वारा प्रस्तुत रु.100.00 के स्टाम्प पेपर पर भा.वा.अ.शि.प. के साथ तीन वर्षों की अवधि के लिए व्यापक रखरखाव अनुबंध हस्ताक्षरित करेगा।

 कुल अनुबंध मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि के समकक्ष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत लेखा अधिकारी, भा.वा.अ.शि.प. के पक्ष में देय, अनुबंध की समाप्ति से छह माह तक वैध, प्रदर्शन प्रतिभूति (फॉर्म-5 के अनुसार) प्रस्तुत करेगा।

रखरखाव अनुबंध के अंतर्गत समझौते के भाग के अनुसार प्राप्त किए
 गए हार्डवेयर की सूची को विधिवत स्वीकार कर प्रस्तुत करेगा।

j) वेण्डर एसाइनमेण्ट के प्रारम्भन को आशय पत्र निर्गत किए जाने के तीस विवसों के अंतर्गत आवश्यक प्रदर्शन गारण्टी के साथ स्वीकार्यता पत्र, रु. 100.00 का स्टाम्प पेपर तथा विगत पैरा में वर्णित यूपी.एस. की पूर्व रखरखाव सूची के माध्यम से करेगा। वेण्डर द्वारा विलंबित एसाइनमेण्ट से प्राप्त निविदा अभिलेख के निरस्तीकरण साथ—साथ जमा बयाना धनराशि जब्ति होगी।

k) फर्म, पूर्ववर्ती फर्म से यू.पी.एस. को चालू अवस्था में प्राप्त करेगी। हालांकि, नवीनम लिए गए यू.पी.एस. का निरीक्षण रखरखाव अनुबंध प्रारम्भ होने से पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग से नियुक्त किए गए व्यक्ति के साथ किया जाएगा, जिससे कि यू.पी.एस. की कार्य स्थिति को जाँचा जा सके तथा यू. पी.एस. को रखरखाव अनुबंध के अंतर्गत सूची में जोड़ा जा सके।

1) सहायक महानिदेशक (प्रशासन) किसी भी कारणों जैसे हस्तांतरण / वारण्टी के समापन इत्यादि के कारण रखरखाव अनुबंध में यू.पी.एस. के परिवर्धन का सर्वाधिकार सुरक्षित रखते हैं। उपकरण को इसके समावेश की तिथि से अनुबंध के अंतर्गम माना जाएगा तथा इसका भुगतान प्रभावी समावेश तिथि से ही स्वीकार्य होगा।

- m)सहायक महानिदेशक (प्रशासन) यथा आवश्यकता अनुसार, सभी संबंधित को सूचित कर, यू.पी.एस. को रखरखाव अनुबंध में सम्मिलित नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- n) यू.पी.एस. के दो कार्यदिवसों से अधिक रूकावट की स्थिति में, प्रत्येक अग्रेतर दिवस के लिए रु. 50 प्रति दिवस प्रति यू.पी.एस. की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
- o) अभियंता की अत्यधिक अनुपिश्यित से फर्म पर जुर्माना लगाया जाएगा। नियुक्त अभियंता की प्रत्येक अनुपिश्यित के लिए फर्म पर रु. 250 प्रति अभियंता / प्रति दिवस की धनराशि का जुर्माना प्रत्येक तिमाही भुगतान से कटौती किया जाएगा। आकिस्मक घटना की स्थिति में, अभियंता(ओं) को नियत कार्यसमय के पश्चात तथा अवकाश के दिन भी रिपोर्ट करना होगा, जिसके लिए भा.वा.अ.शि.प. कोई अतिरिक्त भुगतान के लिए बाध्य नहीं है।
- p) स्थल पर सुधारात्मक रखरखाव करना फर्म का दायित्व होगा तथा किसी भी परिस्थिति में प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग की अनुमित के बिना यू.पी.एस. को परिसर से बाहर लेकर जाने की अनुमित नहीं होगी।
- q) स्थानिक अभियंता सभी उपभोक्ताओं से विधिवत रूप से हस्ताक्षर करवा कर सभी सर्विस किए गए/रिपेयर किए गए/कॉल रिलप के साथ तिमाही में रखरखाव किए गए/सर्विस रिलप/रखरखाव रिलप की रिपोर्ट को नियमित रूप से प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग को जमा करेंगे। निवारक तथा सुधारात्मक रखरखावों के लिए नियत प्रारूप में पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
- r) प्राथंमिक रूप से, रखरखाव अनुबंध तीन वर्षों के लिए वैध होगा, परंतु यथारिथिति के अनुसार, भा.वा.अ.शि.प. के हित में सहायक महानिदेशक (प्रशासन) के पास अनुबंध अविध को विस्तृत/कम करने का सर्वाधिकार होगा।
- s) किसी भी स्थिति में बोलीदाता को सभी सूचीबद्ध यू.पी.एस. के दामों को उद्धरित करना होगा।
- t) तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्तावों के संबंध में यदि गलत सूचना प्रदान करने . पर रु. 10,000.00 (दस हजार रूपये मात्र) की जमा बयाना धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा।
- u) सशर्त निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी।

v) सहायक महानिदेशक (प्रशासन) के पास बिना कोई कारण नियत किए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

7- अनुबंध

a) इस निविदा अभिलेख में प्रदत्त ''कार्य की व्यापकता'' तथा ''सामान्य नियम एवं शर्तें'' इस अनुबंध का भाग होंगी।

b) यदि इस अनुबंध का कोई भी भाग, दूसरे भाग के अनुरूप या सहमत नहीं होता, या अनुबंध के शर्तों के अर्थ का प्रश्न उद्भव होता है, सहायक महानिदेशक (प्रशासन) मामले का निवारण करेंगे तथा उनका निर्णय इसके पक्षों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

c) पक्षों द्वारा क्रियान्वित किए जाने पर अनुबंध में संबंधित पक्षों के मध्य संपूर्ण अनुबंध सम्मिलित होगा तथा इसके पक्षों पर बाध्यकारी होगा या दोनों में से कोई भी संशोधन लिखित में किया गया हो तथा भा.वा.अ.शि.प. तथा फर्म के द्वारा विधिवत क्रियान्वित किया गया हो।

d) सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भा.वा.अ.शि.प. की पूर्व लिखित अनुमित के बिना फर्म द्वारा अनुबंध को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्दिष्ट या उपट्टे पर नहीं दिया जाएगा। सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भा.वा.अ.शि.प. की पूर्व लिखित अनुमित के बिना फर्म द्वारा इस अनुबंध को उपट्टे पर दिए जाने से किसी भी कारण से कोई भी बकाया धनराशि अमान्य हो जाएगी।

e) यदि फर्म की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाए जाने या अन्यत्र के कारण, सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भा.वा.अ.शि.प. के पास तीस दिनों के नोटिस पर अनुबंध को रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

f) अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों के संतोषजनक निष्पादन पर प्रारंभिक अनुबंध तीन वर्षों की अविध तक वैध है। भा.व.अ.शि.प. आवश्यता अनुसार, दो वर्षों की अविध के लिए, भा.वा.अ.शि.प. वार्षिक आधार पर समान नियम एवं शर्तों के अधीन अनुबंध को नवीकृत / विस्तृत करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रखता है।

g) अनुबंध को किसी भी रूप में फर्म की संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

h) इस अनुबंध के कारण उत्पन्न किसी भी दावे के समाधान के लिए कोई भी विधिक कार्यवाहियां देहरादून, उत्तराखण्ड के न्यायालय में ही की जाएंगी।

8- भुगतान की शर्ते

- a) प्रत्येक व्यक्तिगत उपकरण के लिए, उपभोक्ता द्वारा नियत प्रारूप में विधिवत सत्यापित निवारक रखरखाव रिपोर्ट को तीन प्रतियों में बिल की रसीद को प्रत्येक तिमाही में कार्य समाप्ति पश्चात भुगतान किया जाएगा। बिल के साथ प्रेषित निवारक रखरखाव रिपोर्ट तथा अन्य सर्विस स्तर के समझौतों की जाँच के पश्चात, असंतोषजनक रखरखाव के कारण जुर्माने को समेकित कर, कटौती पश्चात भुगतान किया जाएगा। ऐसी कटौतियां फर्म पर बाध्यकारी होंगी।
- b) आयकर नियमों / अधिनियमों के अंतर्गत भुगतान टी.डी.एस. कटौती के अधीन है। अनुबंध समझौते के क्रियान्वयन पश्चात, सरकार द्वारा लगाए गए ऐसे करों, शुल्कों तथा अन्य वैधानिक चुगियों की भा.वा.अ.शि.प. के द्वारा कटौती की जाएगी।
- c) निविदा अभिलेख में वर्णित इन नियम एवं शर्तों के उल्लंघन पर, सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भा.वा.अ.शि.प. के निर्णय अनुसार निष्पादन बैंक गारण्टी को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जब्त किया जा सकत है। ऐसे निर्णय फर्म पर बाध्यकारी होंगे।

9. मध्यस्थता

सभी प्रश्न और विवादों को, सिवाय उनके जिनके बारे में अनुबंध में अन्यथा प्रावधान है, जो कि किसी भी तरह से अनुबंध से संबंधित हों या उसकी वजह से हो या अन्यथा कार्य से संबंधित हों या निष्पादन या निष्पादन की विफलता के संबंध में हों, चाहे रखरखाव अनुबंध की प्रगति के दौरान उत्पन्न हों या पूरा होने के बाद या . उसके परित्याग के पश्चात, विवाद के समय महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, (DG, ICFRE) देहरादून द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति कै एकमात्र मध्यरथता के लिए भेजा जाएगा। ऐसी नियुक्ति पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी कि नियुक्त किया गया ऐसा मध्यस्थताकारी भा.वा.अ.शि.प. का एक कर्मचारी है ग्रां सरकारी नौकर है अथवा जिस संविदा से संबन्धित है उसने उस मामले को निपटाया हो या वह अपने इस कार्य के समय भा.वा.अ.शि.प. का कर्मचारी हो या सरकारी कर्मचारी हो, के रूप में उसने विभिन्न विवादों के सभी अथवा किसी मामले में उसने अपने विचार व्यक्त किए हों। मध्यरथ व्यक्ति, जिसे मामला मूल रूप से सौंपा गया है अपने कार्यालय को छोड़ने अथवा स्थानांतरण होने अथवा किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने की रिथिति में उस व्यक्ति के स्थान पर महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. द्वारा चयन किए गए अन्य व्यक्ति अन्बंध की शर्तों के अनुरूप मध्यरथता व उस कार्य को उसके पूर्व के व्यक्ति की छोड़ी हुई स्थिति से आगे करने के लिए योग्य होंगे। इस संविदा की एक शर्त यह भी है कि महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति

मध्यरथ के रूप में कार्य नहीं कर सकता। किसी भी कारण हेतु यदि ऐसा संभव नहीं है तो मामला ऐसी किसी भी स्थिति में मध्यस्थता के लिए नहीं सौंपा जाएगा जहां विवाद में दावे की राशि रूपये 50000/- या उससे अधिक है।

विषय के रूप में, मध्यरथता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान या किसी भी वैधानिक संशोधनों या उसके पुनः अधिनिर्णय और उसके द्वारा बनाए गए नियमों और उस समय के लिए लागू होने वाले नियम इस खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे। अनुबंध के तहत सेवाएं, ऐसे किसी भी विवाद, प्रश्न या झगड़े के अस्तित्व के बावजूद, मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान, जारी रहेंगी और भावा अशि.प. या फर्म द्वारा देय या बकाया, इस कार्यवाही के कारण, जब तक कि ऐसे भुगतान मध्यस्थता का प्रत्यक्ष विषय नहीं होंगे, रूके रहेंगे। मध्यस्थता का संदर्भ कानून में किसी अन्य कार्रवाई के लिए एक शर्त होगी।

10. प्रस्ताव का तैयारी तथा जमा किया जाना प्रस्तावों को निम्नांकित अनुसार दो पृथक लिफाफों में होना चाहिए —

- i) ऑनलाइन बोलियों को दो कवर प्रणालियों यथा कवर 1 तथा कवर 2 के अंतर्गत जमा करना होगा। अपलोड किए जाने से पूर्व बोलदाता द्वारा अभिलेखों की प्रवृत्ति या विषय—वस्तु पर विचार किए बिना ऑनलाइन जमा किए जाने वाले सभी पृष्ठों को हस्ताक्षरित तथा क्रमबद्ध रूप से क्रमांकित किए जाने चाहिए।
- ii) प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का अंतरालेखन या अधिलेखन नहीं होना चाहिए, यदि ऐसी स्थिति में प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे सुधरों को स्वयं द्वारा किया जाना चाहिए। इस निविदा से संबंधित कोई भी वित्तीय बोली की सूची को अर्हक अभिलेखों तथा/या तकनीकी बोली चरण में नहीं जमा किया जाएगा। इस शर्त के उल्लंघन की रिथिति में, बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस विषय में कोई भी संप्रेषण नहीं किया जाएगा।
- iii) एतद् अनुसार वर्णित नियमों एवं शर्तों को पढ़ने पश्चात पूर्ण प्रस्ताव को निश्चित रूप से CPP प्रापण https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर जमा करना होगा। फैक्स / ई—मेल / ऑफलाइन जमा किए गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में कोई भी संप्रेषण नहीं किया जाएगा।

- iv) निविदा अहस्तांतरणीय है। किसी भी अनुदेशन तथा उप—अनुबंध की अनुमति नहीं है।
- v) बोलियों को जमा करने की अंतिम तिथि से 120 दिनों तक प्रस्ताव की वैधता होगी।
- vi) बोलियों को जमा करते समय, यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने इस निविदा अभिलेख में वर्णित नियम एवं शर्तों को पढ़, समझ तथा स्वीकार कर लिया है।
- vii) सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भा.वा.अ.शि.प. किसी भी कारणों को नियत किए बिना किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का सर्वोधिकार सुरक्षित करते हैं।
- viii) निविदा को स्वीकृत किए जाने का प्राधिकार भा.वा.अ.शि.प. के पास निहित है। प्राधिकारी के पास न्यूनतम निविदा या किसी अन्य निविदा कसे स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी तथा कोई भी निविदाकर्ता उसके / उनकी निविदा के अस्वीकरण के लिए भा.वा.अ.शि.प. से अस्वीकरण के कारणों का स्पष्टीकरण करेगा, न भा.वा.अ.शि.प. किसी विशिष्ट निविदा या निविदाओं के अस्वीकरण के लिए कारणों को निर्दिष्ट करेगा।

कवर 1. तकनीकी बोली

1.0 अर्हक बोली

अर्हक अभिलेखों को निम्नांकित अनुसार CPPP वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर अपलोड किया जाना चाहिए। निविदाकर्ता / बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि को निम्नांकित अभिलेखों को प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करके तथा मूल अभिलेखों की स्कैन की गई प्रति को पी.डी.एफ, प्रारूप में, अर्हक बोली के रूप में CPPP पोर्टल में अपलोड करना होगा।

- i) निविदा शुल्क : CPPP पोर्टल से डाउनलोड किए गए निविदा प्रपन्न के साथ लेखाअधिकारी, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून के पक्ष में देहरादून में देय रु. 500/— का रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट सम्मिलित होना चाहिए तथा उक्त की स्कैण्ड प्रति को पोर्टल में अपलोड की जानी चाहिए। यह गैर वापसी योग्य होगा। उक्त की हार्ड प्रति को अर्हक बोली खुलने की अंतिम तिथि/समय पर या से पूर्व प्राप्त होनी चाहिए।
- ii) लेखाअधिकारी, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून के पक्ष में देहरादून में देय, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया गया सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.)/बैंक

गारण्टी / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रु. 10,000 / — (दस हजार रूपये मात्र) की जमा बयाना धनराशि प्रस्तुत करनी होगी तथा उक्त की स्कैण्ड प्रति को CPP पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जमा बयाना धनराशि की हार्ड प्रति को सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भा.वा.अ.शि.प., देहरादून — 248006 को अर्हक बोली जमा करने की अंतिम तिथि / समय से पूर्व प्रेषित करना होगा।

iii) विधिवत भरा गया प्रारूप 1 : निम्नांकित सावधानियों के साथ प्रस्तावित मुख्य

कार्मिकों के जीवन वृत्त का प्रारूप

प्रस्तावित मुख्य व्यवसायिक कर्मचारी फर्म के निममित कर्मचारी होंगे।

प्रस्तावित कर्मचारियों के पास मशीनों के रख-रखाव तथा मरम्मत का प्रचुर अनुभव होना चाहिए।

प्रस्तावित मुख्य व्यवसायिक कर्मचारियों का विकल्प एकसमान योग्यता के व्यक्तियों के साथ प्रस्तावित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक पद हेतु पृथक जीवन वृत्त के साथ नवीनतम पासपोर्ट आकार के छायाचित्र जमा किए जाने चाहिए।

iv) विधिवत भरा गया प्रारूप 1 : विगत 5 वर्षों में सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए समान

प्रवृत्ति तथा परिमाण के अनुदेश

- विगत दो (यथा 2017-18 तथा 2018-19) वित्तीय वर्षों में बोलीदाता द्वारा किए गए समान परिमाण तथा प्रवृत्ति के किए गए कार्यों के रखरखाव अनुबंध का अभिलेख साक्ष्य, जिसमें से एक सरकारी संगठन में निश्चित रूप से किया गया हो।
- ii) विगत दो वित्तीय वर्षों में बोलीदाता द्वारा किए गए न्यूनतम तीन रखरखाव
 अनुबंधों में संतोषजनक सेवाओं का प्रदर्शन प्रमाण पत्र (जिसमें से एक प्रमाण
 पत्र सरकारी संगठन में समान परिमाण तथा प्रवृत्ति के किए गए कार्यों का हो)।
- iii) विधिवत रूप से भरा गया **प्रारूप 3** : निविदाकर्ता का विवरण
- iv) विधिवत रूप से भरा गया प्रारूप 4 : बोली प्रस्ताव प्रपत्र।
- v) आयकर विभाग द्वारा कम्पनी को आवंटित GSTIN, PAN, TAN.
- vi) समर्थन अभिलेखों के साथ, कम्पनी कम्प्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में न्यूनतम पाँच वर्षों से है, यह इंगित करता एक प्रमाण पत्र (कम्पनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा)
- vii) कम्पनी / फर्म के पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
- viii) वित्तीय वर्ष 2017—18 तथा 2018—19 में भुगतान किए गए आयकर रिटर्न की प्रति
- ix) बोली को हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृति।
- x) देहरादून में विगत 5 वर्षों में क्रिया—शील कार्यालय होने का प्रमाण।

नोट :— बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक या से पूर्व निर्दिष्ट पते पर निविदा शुल्क के पक्ष में डी.डी. / एफ.डी.आर. तथा ई.एम.डी. की भौतिक प्रति जमा की जानी चाहिए।

उपर्युक्त निर्दिष्ट के अनुसार अर्हक सूची की स्कैण्ड तथा हस्ताक्षरित प्रति के अभाव में निविदा को अमान्य समझा जाएगा।

कवर 2: वित्तीय बोली

क) वित्तीय प्रस्ताव को वित्तीय बोली के शिड्यूल के रूप में BoQ xls के रूप में सी.पी.पी. प्रापण https://eprocure.gov.in/epublish/app में प्रत्येक आइटम के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

प्रस्ताव का मूल्यांकन

भा.व.अ.शि.प. द्वारा नियुक्त मूल्यांकन समिति द्वारा विभिन्न चरणों में बोलियों का खोलना, जाँच, मूल्यांकन किया जाएगा। प्रस्तावों के मूल्यांकन में निम्नांकित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा —

कवर 1 में बोलीदाता द्वारा जमा किए गए सभी अईक अभिलेखों को बोली के लिए जाँचा जाएगा तथा इन अभिलेखों के मध्य विसंगति पाए जाने पर बोली को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।

- 1. अर्हक अभिलेख चरण में सफल फर्मों की ही वित्तीय बोलियों पर वित्तीय मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।
- 2. मूल्यांकल समिति यह सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय प्रस्ताव पूर्ण तथा गणनात्मक त्रुटियों से मुक्त हैं। रखरखाव अनुबंध के लिए BOQ.XLS में उद्धरित कुल लागत पर वित्तीय मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

समग्र मूल्यांकन

फर्म जिसने अर्हक अभिलेख चरण में सफलता प्राप्त की है तथा तत्पश्चात निम्नतम वित्तीय बोली उद्धरित की है, को यू.पी.एस. के तीन वर्षों के व्यापक रखरखाव अनुबंध को प्रदान करने के अनुबंध प्रदान करने के लिए चयनित किया जाता है।

प्रपत्र — 1 प्रस्तावित मुख्य कर्मचारियों के व्यक्ति वृत्त का प्रारूप

प्रस्तावित प	ाद :	
फर्म का ना	TH ·	
त्रा वया ।। जन्मीकारी जन	1 = 1111	
	•	
फर्म के सा	थ वर्षः	राष्ट्रीयता
व्यवसायिक	सोसायटियों की सदस्यत	T:
प्रदत्त कार्य	िका विवरणः	

मुख्य विशेषताएं :

(अनुदेश से संबंधित कर्मचारी का अनुभव तथा प्रशिक्षण का प्रारूप प्रस्तुत करें। प्रासंगिक पूर्व अनुदेशों पर कर्मचारी द्वारा धारित उत्तरदायित्व का विवरण तथा तिथि एवं अवस्थितियां प्रस्तुत करें। आधे पृष्ठ तक वर्णित करें।)

तकनीकी योग्यताः

(कर्मचारी की विशिष्ट योग्यताओं का सार, संस्थानों, संगठनों में प्रतिभाग का नाम तथा प्राप्त किए गए डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों का विवरण। चौथाई पृष्ठ तक वर्णित करें।)

सेवायोजन अभिलेखः

(वर्तमान पद से प्रारम्भ कर, प्रतिलोम क्रम में धारित प्रत्येक सेवायोजन की सूची। कर्मचारी द्वारा रनातक से धारित सभी पदों की सूची, तिथि, नियोजक संगठन का नाम, धारित पदों का शीर्षक तथा अनुदेशों की अवस्थिति की सूची प्रस्तुत करें।) विगत दस वर्षों में अनुभव तथा निष्पादित क्रियाकलाप तथा क्लांइट रेफरेन्स भी प्रस्तुत करें। पृष्ठ के तीन चौथाई भाग तक वर्णित करें।

नियोक्ता फर्म द्वारा सत्यापित कर मुख्य कर्मचारी के हस्ताक्षर

फॉर्म 2 विगत 5 वर्षों में समान प्रकार तथा परिमाण के सफलतापूर्वक पूर्ण एसाइनमेण्ट समान प्रवृत्ति के अनुदेशों पर नवीन अनुभव का प्रारूप

क्र. सं.	एसाइनमेण्ट का नाम	प्रबंधित / रखरखाव किए गए यू.पी.एस. की संख्या तथा विवरण	एसाइनमेण्ट की लागत	प्रारम्भन की तिथि	पूर्ण होने की तिथि	क्या एसाइनमेण्ट संतोषजनक रूप से पूर्ण हुआ था	
1	2	3	4	5	6	7	8
							entre de la companya del companya de la companya del companya de la companya de l

नोट : उपर्युक्त सभी अनुदेशों (एसाइनमेण्ट) के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत किए जाने हैं।

फॉर्म 3

निविदाकर्ता का विवरण

1. निविदाकृती का नाम	
2. मुख्यालयं / पंजीकृत कार्याल	य पता :
अ) डाक्	·
ब) फैक्स नं.	1
स) दूरभाष संख्या (ए)	
द) ईमेल पता	
ई) वेबसाइट पता	
3. कंपनी का पूर्व नाम (यदि हो	
4. देहरादून कार्यालय का पता	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
अ) डाक्	1,.,
ब) फैक्स नं.	
स) दूरभाष संख्या (एं)	
द) ईमेल पता	
5. संगठन का प्रकारः	वैयक्तिक / साझेदारी / निगमितः
	राशिः
अ) सावधि जमा रसीद / बैंक	गारंटी संः
8. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का	नाम और पता तथा इस उद्धरण हेतु संपर्क व्यक्ति
9. क्या उद्धरण के साथ बोली	खोलने में भाग लेने के लिए प्राधिकार पत्र संलग्न है?
oregonial trades.	
10. क्या पैन प्रमाण पत्र संलग्न	है ?
11 जी एस टी एन / सर्विस टैव	स/वैट/सेल्स टैक्स पंजीकरण संख्या
12. आईएसओ प्रमाणपत्र है?	

यदि हाँ / तो क्या तकनीकी बोली में दस्तावेज सलग्न है.....

बोलीदाता के हस्ताक्षर नाम कार्यालय मोहर

दिनांकः .

स्थानः

<u>फॉर्म 4</u> बोली प्रस्ताव पत्र

निविदाकर्ता	का प्रस्ताव संदर्भ सं.	एवं दिनांकः		 	
निविदाकर्ता	का नाम एवं पता			 , ,	
जिस व्यक्ति	से संपर्क करना है:			 	
पदनामः				 	
टेलीफोन न	ईमेल फैक्स नं.:			 	
सेवा में,	: 				
सहा	यक महानिदेशक (प्रश	ासन)			
भार	ीय वानिकी अनुसंधा	न एवं शिक्षा	परिषद्		
पी.अ	ो. न्यू फॉरेस्ट, देहराव	्न 248006			

विषयः यू.पी.एस. के लिए रखरखाव अनुबंध...बाबत।

महोदय,

- 1. हम, अधोहस्ताक्षरी निविदाकर्ता(ओं) ने निविदा दस्तावेज में उल्लिखित उपरोक्त बताई गई अनुरक्षण संविदा संबंधी बोली दस्तावेज पढ़ लिया है और विस्तृत रूप से जाँच कर ली है।
- 2. हमारे प्रस्ताव में उल्लिखित सभी कीमतें निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार हैं। इस प्रस्ताव की सभी कीमतें और अन्य शर्तें बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 120 दिवसों की अवधि के लिए वैध हैं।
- 3. हम यहाँ पुष्टि करते हैं कि हमारी बोली की कीमतों में आयकर, व्यावसायिक कर तथा सेवा कर इत्यादि सभी कर सम्मिलित हैं।
- 4. हमने भारतीय आयकर से संबन्धित खंड का अध्ययन कर लिया है तथा हम घोषणा करते हैं कि कानून/नियम के अंतर्गत यदि कोई आयकर पर अधिभार या अन्य कोई कॉर्पोरेट शुल्क लिया जाता है तो हम उसका भुगतान करेंगे।
- 5. हमने रूपयें 10,000 / (दस हजार रूपये मात्र) की बयाना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा कर दी है तथा हम समझते हैं कि निविदा दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसरण में यह राशि जब्त कर ली जा सकती है।

- 6. हम आगे यह घोषणा करते हैं कि हमारें प्रस्ताव में लिखे गए मूल्य बोली दर्स्तावेज के नियम और शर्तों के अनुसार हैं।
- 7. हम पुष्टि करते हैं कि हमने आपके निविदा दस्तावेज में आपके द्वारा मांगा गया अर्ह डाटा प्रस्तुत किया है। हमारी बोली के मूल्यांकन से पूर्व इस संबंध में कोई अग्रिम सूचना / दस्तावेजी प्रमाण यदि आवश्यक हुआ तो, आपकी संतुष्टि हेतु समय पर हम प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं।
- 8. हम यह घोषणा करते हैं कि हमारा प्रस्ताव दुरभिसंधि अथवा धोखारहित विश्वसनीयता से तैयार किया गया है तथा इस प्रस्ताव में दी गई सूचनाएँ हमारें संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।
- 9. हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा उचित तरीके से मुहरबंद कर तैयार की गई है ताकि प्रस्तुत करने के पश्चात इसमें कोई बदलाव या प्रतिस्थापन न हो सके।
- 10. हम समझते हैं कि आप सबसे कम या किसी भी बोली को, जो आपको प्राप्त हो सकती है, को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं, या आंशिक आदेश देने या किसी भी बोली को अस्वीकार करने या निविदा रद्द करने के लिए कोई कारण बताने के लिए भी बाध्य नहीं हैं।

भवदीय.

(हस्ताक्षर)

दिनांकः स्थानः

नामः

पदनामः

व्यावसायिक पताः मोहर

<u>फार्म 5</u> बैंक गारण्टी हेतु प्रपत्र

(देश के निर्गतकर्ता बैंक द्वारा स्टाम्प अधिनियम, यदि कोई, के अनुसार स्टाम्प किया जाए)

संदर्भ :

बैंक गारण्टी :

तिथि :

महोदय.

भारतीय वानिकी अनुसंघान एवं शिक्षा परिषद् देहरादून (एतद्पश्चात, 'भा.वा.अ. शि.प.' के रूप में संबोधित किया जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति जब तक इसके अर्थ के साध्य प्रतिकूल न हों, जिसमें इसके समनुदेशति, प्रशासक तथा अनुदेशति सम्मिलित हैं) के विचारार्थ में जिन्होने मैसर्स (एतद्पश्चात, वेण्डर के रूप में संबोधित किया जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति जब तक इसके अर्थ के साथ प्रतिकूल न हों, जिसमें इसके समनुदेशति, प्रशासक तथा अनुदेशति सम्मिलित हैं) को प्रदत्त, जिसके परिणामतः हेतु अनुबंध मूल्य को एतद्पश्चात 'अनुबंध' कहा गया है तथा धनराशि (शब्दों में तथा अंकों में) के उपर्यक्त अनुबंध के निष्पादन हेतु भा.वा.अ.शि.प. ने वेण्डर को वेण्डर द्वारा प्रस्तुत बैंक गारण्टी के विरूद्ध अग्रिम के भुगतान पर सहमति दी है।

हम (बैंक का नाम) मुख्यालय

(एतद्पश्चात, बैंक के रूप में संबोधित किया गया है, जिसकी अभिव्यक्ति जब तक इसके अर्थ के साथ प्रतिकूल न हों, जिसमें इसके समनुदेशति, प्रशासक तथा अनुदेशति सम्मिलित हैं) तत्काल वेण्डर द्वारा देय उपर्युक्त धनराशि, बिना किसी आपत्ति, दुराव, प्रतिवाद, संसाधन या संघर्ष तथा वेण्डर के किसी भी संदर्भ के बिना भा.वा.अ.शि. प को प्रदान करने की गारण्टी देते हैं। न्यायालय, न्यायाधिकरण, जज या किसी भी प्राधिकारी के सम्मुख लंबित वाद की किसी भी स्थिति में भा.वा.अ.शि.प. द्वारा ऐसी कोई भी माँग बैंक पर अंतिम तथा बाध्यकारी होगी। हम सहमत हैं कि एतद्द्वारा प्रस्तुत गारण्टी अखण्डनीय होगी तथा भा.वा.अ.शि.प. द्वारा प्रवर्तनीय होगी।

भा.वा.अ.शि.प. के पास गारण्टी के अंतर्गत बैंक की देयता को किसी भी प्रकार से बाधित किए बिना, समय—समय पर अग्रिम को बदलने वेण्डर के प्रदर्शन के लिए अनुबंध की समयसीमा विस्तृत करने की स्वतंत्रता होगी। भा.वा.अ.शि.प. के पास इस गारण्टी को प्रभावित किए बिना, समय—समय पर विलंबित करने या उनके पास निहित किसी भी अधिकार तथा भा.वा.अ.शि.प. तथा वेण्डर के मध्य किसी भी पारस्परिक संविदा, अनुबंध में निहित या सम्मिलित किसी कार्यप्रणाली का अधिकार होगा। उक्त मामलों के संबंध में या उनमें से किसी में भा.वा.अ.शि.प. द्वारा किसी भी प्रकार के आसक्ति में बैंक अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

बैंक सहमत है कि भा.वा.अ.शि.प. अपने मद के अनुसार, वेण्डर से संबंधित देयता की किसी भी स्थिति में किसी किसी भी परामर्शदाता के बिना प्रथमदृष्टया बैंक पर इस गारण्टी लागू करने का हकदार होगा। हालांकि, उपर्युक्त से अन्यत्र हमारी देयता से ऊपर हैं, हमारी गारण्टी तक सीमित है तथा यह तक लागू है तथा समय—समय पर मैसर्स के द्वारा जिसके लिए हमने यह गारण्टी दी है द्वारा विस्तृत होगी।

20 की तिथि को

बैंक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर तथा मोहरे

भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय, देहरादून में संभावित यू.पी.एस. की सूची

क. यू.पी.एस. की सूची

क्र.स.	संक्षिप्त विवरण	संख्सा
1	AVO 3.0 KVA with backup time of 1 hr (12V	04
	42AH with 8 Batteries)	·
2	AVO 650 VA with backup time of 10 to 15	170
	minutes	
3	APC BR600C1 600 VA	06

उपर्युक्त संख्या संभावित है, अंतिम सूची का निर्माण विनिर्देश अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग के प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में फर्म के सेवा अभियंता द्वारा मशीनों के निरीक्षण अनुसार किया जाएगा। (सर्वक्षण के उद्देश्य हेतु व्यापक सूची इस कार्यालय द्वारा अनुरोध के अनुसार प्रदान की जाएगी)। फर्म का प्राधिकृत प्रतिनिधि लैपटाप की स्थिति में, आवश्यकता अनुसार विशिष्टताओं को जाँच सकता है।

(हस्ताक्षर)

दिनांकः रथानः नाम:

पदनामः

व्यावसायिक पताः मोहर